न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/65/2021	2021/132	08–10–2021	14–06–2022

01– बंशी पुत्र भौरा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरनाथ की ढाणी, तन धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर। (राजस्थान) –अपीलांट

बनाम

01– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर। (राजस्थान)

–रेस्पोडेण्ट

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (R.)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बानसूर दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 348/2019 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विवादित आराजी किस्म बारानी द्वितीय की भूमि से पेनल्टी/बेदखली/सिविल कारावास से दण्डित किये जाने जाने बाबत।

उपस्थितः–
01–श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलान्ट

–: निर्णय :–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 348/2019 उनवान सरकार बनाम बंशी प्रकरण संख्या 348/2019 में राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा न0 653 रकबा 2.27 में से 0.20 है0 किस्म बारानी द्वितीय की भूमि पर जिन्स सरसो की फसल काश्त कर किये गये/पश्चातवर्ती अतिकमण के विरूद्ध पेनल्टी/बेदखली/सिविल कारावास से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा न0 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय मे 0.20 है0 भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर/पश्चातवर्ती किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा दिनाक 22.02.2019 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुए अतिक्रमी बंशी पुत्र भौरा को आराजी खसरा न0 653 रकबा 2.27 है0 किस्म वारानी द्वितीय से पेनल्टी/बेदखली/सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। ग्राम धीरपुर तहसील वानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, न ही काश्त की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान को आधार मानते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णित आराजी पर अतिक्रमण करना वताया है, पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नही की गयी है। पटवारी हल्का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वेदखली/शास्ती वसूली/फसल नीलामी की कार्यवाही हेतु संबंधित पटवारी/

लगातार .....

द्वारा अपीलान्ट की काश्तकारी की आराजी एवं सरकारी नाले की भूमि की कोई पैमाईश नही की गयी है। जिसके बिना अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी बताना न्यायोचित नही है, जिस बिन्दु पर तहत न्यायालय ने समुचित गौर न करते हुऐ अपीलान्ट के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नहीं की गयी है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व निर्णयो की प्रति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नही किया है। जिस के आधार पर आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.05.2019 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का द्वारा धमकी दी गयी की अपीलान्ट के विरूद्व तहसीलदार बानसूर द्वारा कार्यवाही की गयी है। जिस पर अपीलान्ट ने आलोच्य आदेश की प्रति हेतु दिनांक 24.05.2019 को आवेदन किया गया उसी दिन नकल प्राप्त कर आलोच्य आदेश दिनाक 22.02.2019 से सर्वप्रथम जानकारी एवं नकल मिलने का समय दिनांक 24.05.2019 एवं उसके पश्चात अपील पेश करने तक का समय कण्डोन फरमाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2019 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि वर्णित आराजी सिवायचक है जिस पर अतिक्रमी को अतिक्रमण किये जाने का अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा विधिवत निर्णय दिनांक 22.02.2019 पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलाण्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने यह अपील तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 के विरूद्व दिनांक 03.06.2019 को न्यायालय को पेश की है, जो करीब 3 माह पश्चात पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–05 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है, जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपील अपीलाण्ट ने अपील में मुख्य तर्क उठाया है कि ग्राम धीरपुर की आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय पर अपीलाण्ट के द्वारा कोई कब्जा नहीं गया है, न ही काश्त की है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.20 है0 भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार रिपोर्ट पेश की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अतिक्रमी ने तहत अदालत में उपस्थित होकर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया और जवाब साक्ष्य पेश नहीं किया तथा दिनांक 22.02.2022 को पटवारी हल्का के बयान लिये बयान में उल्लेख किया है कि आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय पर अतिक्रमी बंशी पुत्र भौरा जाति गुर्जर निवासी हरनाथ की ढ़ाणी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर मौंके से बेदखल किया गया है। प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 22.02.2019 को निर्णय पारित कर अतिक्रमी बंशी पुत्र भौरा को संवत् 2075 में ग्राम धीरपुर आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0, में से 0.20 है0 किस्म बारानी में सरसों की फसल काश्त किये जाने/पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत शास्ति कायम कर मौंके से बेदखल किये जाने तथा काश्त की गई फसल को कब्जेराज लेकर नियमानुसार फसल नीलामी की कार्यवाही किये जाने के साथ ही अतिक्रमी को 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड़ से दण्ड़ित किया गया है। पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तहत अदालत द्वारा मौंके से बेदखली/फर्द नीलामी की कार्यवाही गई है। इस प्रकार अतिक्रमी के द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्व होता है। तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

बेदखली/शास्ती वसूली/फसल नीलामी की कार्यवाही हेतु संबंधित पटवारी/

अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जमा रिकार्ड हो।

आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0जिला कलक्टर प्रथम
अलवर(राजस्थान)